| डाक विभाग | | दूरसंचार विभाग | |
|---|---|---|---|
| समूह "ग" | समूह "घ" | समूह "ग" | समूह "घ" |
| 79 | 19 | 241 | 111 |

(ख) समूह "ग" और "घ" में नियुक्त किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

| डाक विभाग | | | दूरसंचार विभाग | |
|---|---|---|---|---|
| वर्ष | समूह "ग" | समूह "घ" | समूह "ग" | समूह "घ" |
| 1994-95 | 91 | 24 | 28 | शून्य |
| 1995-96 | 63 | 30 | 36 | शून्य |
| 1996-97 | 117 | 29 | 31 | 01 |

वर्ष 1997-98 के दौरान नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या इस प्रकार है:

| डाक विभाग | | दूरसंचार विभाग | |
|---|---|---|---|
| समूह "ग" | समूह "घ" | समूह "ग" | समूह "घ" |
| 79 | 19 | 60 | 10 |

(ग) समूह "ग" संवर्ग की भर्ती के लिए भर्ती की औपचारिक्तायें पूरी की जा रही हैं। समूह "घ" संवर्गों के रिक्त पद दूरंसचार विभाग में पहले से ही उपलब्ध अस्थायी दर्जे के पात्र मजदूरों में से तथा डाक विभाग में अतिरिक्त विभागीय एजेंटी द्वारा भरे जा रहै हैं।

**गुजरात के बन्दरागाह**

*109. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात के छोटे और मझौले बंदरगाहों का विस्तार करने कि लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) क्या इन बंदरगाहों से निर्यात करने की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) राज्य में ऐसे कितने बंदरगाह हैं जिन्हें निर्यात के लिए सुविधाओं से सज्जित करने पर विचार किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी जी वेंकटरामन):**(क) से (घ) गुजरात सरकार ने राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, 1995 में घोषित पत्तन नीति के अनुसार कार्गो का आयात/निर्यात हैंडल करने के लिए 10 हरित क्षेत्र पत्तनों का विकास करने और उन्हें सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित करने पर विचार किया है। उन पत्तनों के ब्यौरे जिन्हें विभिन्न किस्म के कार्गो हैंडल करने के लिए सुविधाओं से सुसज्जित किया जाना है, इस प्रकार है:-

| पत्तन का नाम | कार्गो का स्वरूप जिसके लिए सुविधाएं प्रदान की जानी हैं |
|---|---|
| संयुक्त क्षेत्र के पत्तन | |
| (a) रोजी (बेदी) | कृषि |
| (b) पोसित्रा | पीओएल, कन्टेनर एवं कोयला |
| (c) दहेज | औद्योगिक |
| (d) मुन्द्रा | सामान्य कार्गो |
| गैर-सरकारी पत्तन | |
| 5. सिमार | विद्युत परियोजना (कोयला) |
| 6. मिथीविर्दी | इस्पात एवं आटोमोबाइल |
| 7. धुलेरा | सामान्य कार्गो |
| 8. हजीरा | औद्योगिक |
| 9. वांसी बोरसी | पेट्रोलियम एवं तरल रसायन |
| 10. मरोली | औद्योगिक |

**टेलीफोन सलाहकार समितियां**

*110. **श्री राम देव भंडारी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टेलीफोन विभाग में किन किन स्तरों पर सलाहकार समितियां हैं और उनके सदस्यों की संख्या कितनी कितनी है;

(ख) इन समितियों की एक वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं और इन बैठकों में किस प्रकार के मुद्दों पर विचार किया जाता है;

(ग) क्या इन समितियों की नियमित बैठकों के संबंध में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा):** (ख) प्रत्येक टेलीफोन सलाहकार समिति की और बैठकें वर्ष की प्रत्येक तिमाही में एक एक बार आयोजित की जाती है। इन बैठकों में जिन मुद्दों पर विचार किया जाता है, उनका उल्लेख अनुपत्र (देखिए परिशिष्ट 182 अनुपत्र सं. 12) में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां, ब्यौरा अनुपत्र (देखिए परिशिष्ट 182 अनुपत्र सं. 12) में दिया गया है।

**Loans to Victims of 1984 Riots**

*111. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have approved a proposal for writing-off of loans for certain categories of victims of November, 1984 riots;

(b) if so, the details thereof category-wise;

(c) by when it is likely to be implemented by Government; and

(d) the effective measures being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) to (d) In order to provide further relieft to the November 1984 riot victims, the Government have recently decided to write off the loans taken by them from the banks/financial institutions alongwith the outstanding interest thereon as on 30th June, 1996 in all cases where the principal amount of the loan was upto and inclusive of Rs. 50,000/- at the time of grant of loan. An appropriate scheme for implementation of this decision is under preparation.

**नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् में अनियमितताएं**

*112. **श्री नागमणि**:
**चौधरी हरमोहन सिंह यादव**:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(b) गत वर्ष के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में घायल और अनियमितताओं के कितने मामलों का पता लगा है;

(ख) ये घपले किस प्रकार के थे इनमें कौन कौन से अधिकारी लिप्त थे; और

(ग) इन अधिकारियों के विरुद्ध आज तक क्या कार्रवाई की गई है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार)**: (क) से (ग) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन. डी. एम. सी.) ने सूचित किया है कि वर्ष 1996-97 के दौरान, सतकर्ता स्वरूप वाले अनियमितता के 30 मामलों में संलिप्त 49 संदिग्ध अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाहियां शुरु की गई, जैसाकि संलग्न अनुपत्र में दिया गया है (देखिये परिशिष्ट 182, अनपत्र सं. 13) इसके अलावा, सितम्बर, 1996 के अन्त में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने नगर पालिका के राजस्व में दुर्विनियोजन होने का पता लगाया जोकि कथित रूप से एक प्राईवेट कम्प्यूटर फर्म द्वारा किया गया था, जिसे एन. डी. एम. सी. द्वारा बिजली के बिल तैयार करने तथा उपभोक्ताओं से प्रभार वसूल करने के लिए अनुबंधित किया गया था। ब्यूरों ने इसमें लिप्त दो प्राईवेट व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में, एक आरोप पत्र दायर कर दिया है।

**Visa for Rushdie and Taslima**

*113. SHRI KARTAR SINGH DUGGAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether two noted writers of the Indian sub-continent-Salman Rushdie and Taslima-had ever applied for visa to visit India;

(b) if so, why it could not be possible to accomodate them; and

(c) whether their requests would be given fresh consideration in case either or both of them apply for visa again?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI INDRAJIT GUPTA): (a) to (c) Facts are being as certained from the Ministry of External Affairs and will be laid on the Table of the House.

**Smuggling of Currencies by Pak**

*114. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that counterfiel of Indian currency particularly of 100 and 500 denominations are being pumed into Gujarat and Rajasthan from across the border which is causing havoc to the economy of these States and the poor citizens particularly of rural areas suffering losses therefrom;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what preventive action Government have taken or propose to take to stop the circulation